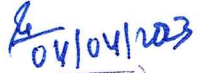


भाग-IV
(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा/वनमण्डलाधिकारी, खरगौन द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार खरगौन जिले में मजरा टोला से महेन्द्रा फाल्या दामखेड़ा में 11 के.व्ही. विद्युत लाईन निर्माण हेतु 0.07 हेक्टेयर (ऑनलाईन रकबा 0.65 हेक्टेयर) वनभूमि कार्यपालन अभियंता, (संचा./संधा.), म0प्र0 पश्चिम क्षेत्र वि0वि0कं0 लिमिटेड, खरगौन (द्वितीय) जिला- खरगौन, मध्यप्रदेश को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

तिथि: 04/04/2023


(सुनील अग्रवाल)
भा.व.से.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल